प्रकरण संख्या 13/19 2019/00200 ता0रजू 07.08.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

1. कमलेश देवी पत्नि हेमराज शर्मा आयु 54 साल जाति ब्राहामण निवासी कंचनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)
2. राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र हेमराज शर्मा आयु 34 साल जाति ब्राहामण निवासी कंचनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) – प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाप्रसाद पुत्र श्योनारायण आयु 84 साल
2. रामप्रताप पुत्र गंगाप्रसाद आयु 58 साल
3. श्रीमोहन पुत्र गंगाप्रसाद आयु 50 साल
   जाति ब्राहामण निवासी कंचनपुर हाल आबाद प्लाट नं. 113 पशुपतिनाथ नगर प्रताप नगर सांगानेर जयपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
4. लैण्डहोल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) – अप्रार्थीगण

दर0 धारा 235 आर.टी.एक्ट बावत मुकदमा मुन्तकिली उनवानी कमलेश बनाम गंगाप्रसाद वगै0 न्यायालय ए.सी.एम.साहब करौली मु0नं0 19/2019 व मु0नं0 29/2019 दावा व टी.आई तारीख पेशी 19/08/2019

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सायलान द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महो. करौली में मुकदमा उनवानी कमलेश बनाम गंगाप्रसाद वगै0 दावा बंटवारा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नंबर 29/19 प्रस्तुत किया गया था। उक्त उनवानी वादपत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 19/2019 पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 19.08.2019 आगामी सुनवाई हेतु नियत है। उक्त प्रकरण न्यायालय में जैर तजबीज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है और प्रार्थीगण फरीकेन के मध्य उक्त प्रकरणों में आपकी स्वतंत्र सहमति से दिनांक 04.07.2019 को राजीनामा हो चुका है परन्तु श्रीमान् ए.सी.एम. साहब करौली का पद रिक्त है और उनके स्थान पर एस.डी.ओ. साहब मण्डरायल को कार्यवाहक ए.सी.एम. लगा रखा है। परन्तु श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब मण्डरायल को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के कारण हम पक्षकारान् का राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है और मुकदमें का निस्तारण नहीं हो पाया है। श्रीमान् ए.सी.एम. साहब का पद लम्बे अर्से से रिक्त है और अभी ए.सी.एम. साहब के पद पर कोई भी पीठासीन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है जिससे हम फरीकेन को भारी असुविधा हो रही है और हम मुताबिक हिस्सा अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त नहीं कर पा रहे है। काश्त का समय निकलता जा रहा है और पीठासीन अधिकारी अभी लगने की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 गंगाप्रसाद काफी वृद्ध है और सीनियर सिटीजन है। उनका बार–बार पेशीयों पर आना असंभव है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को न्यायालय ए.सी.एम. साहब करौली से स्थानांतरित कर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली को भिजवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर उक्त प्रकरण मु.नं. 29/19 एवं 19/19 को न्यायालय ए.सी.एम. साहब करौली से निर्णय हेतु श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब करौली को स्थानांतरित किये जाने का आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि दर. का पेरा नं. 1 सही है, स्वीकार है। हम फरीकेन के मध्य घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नं. 29/19 व 19/19 पेश होना व आगामी पेशी 19.08.2019 नियत होना स्वीकार है। दर. का पेरा नं. 2 सही व स्वीकार है। हम फरीकेन एक ही परिवार के व्यक्ति है और गैरसायल सं. 1

जिला कलक्टर
करौली

गंगाप्रसाद परिवार का मुखिया है। हम फरीकेन के मध्य राजीनामा हो चुका है। श्रीमान् ए.सी.एम. साहब का पद रिक्त होने के कारण तस्दीक नहीं हुआ है। गैरसायल नं. 1 सीनियर सीटीजन है और प्रकरण का हम राजीनामा के आधार पर निस्तारण चाहते है। प्रकरण को न्यायालय ए.सी.एम. साहब करौली से अग्रिम सुनवाई हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय करौली को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। हम सभी पक्षकारान् प्रकरण को स्थानांतरित कराने के लिये सहमत है। प्रार्थनापत्र का पैरा न. 3 कानूनी है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण सायलान द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महो. करौली में मुकदमा उनवानी कमलेश बनाम गंगाप्रसाद वगै0 दावा बंटवारा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नंबर 29/19 प्रस्तुत किया गया था। उक्त उनवानी वादपत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 19/2019 पेश किया गया था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है और प्रार्थीगण फरीकेन के मध्य उक्त प्रकरणों में आपकी स्वतंत्र सहमति से दिनांक 04.07.2019 को राजीनामा हो चुका है परन्तु श्रीमान् ए.सी.एम. साहब करौली का पद रिक्त है और उनके स्थान पर एस.डी.ओ. साहब मण्डरायल को कार्यवाहक ए.सी.एम. लगा रखा है परन्तु श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब मण्डरायल को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के कारण हम पक्षकारान् का राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है और मुकदमें का निस्तारण नहीं हो पाया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजीनामा हो चुका है। हम सभी पक्षकारान् प्रकरण को स्थानांतरित कराने के लिये सहमत है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य राजीनाम होकर न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में पेश हो चुका है मगर सहायक कलक्टर करौली के पद पर नियमित पीठासीन अधिकारी पदस्थापित नहीं है जिसके अभाव में राजीनामा तस्दीक नहीं हो सका है। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर करौली में विचाराधीन दावा संख्या 29/19 उनवानी कमलेश बनाम गंगाप्रसाद वगै0 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 19/19 को उपखण्ड अधिकारी करौली को स्थानांतरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी करौली को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहायक कलक्टर करौली, उपखण्ड अधिकारी, करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। उभय पक्षकारान दिनांक 11.09.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली